



पुलिस विभाग
जनपद चमोली
मैनुअल संख्या-17
ऐसी अन्य सूचना जो,
विहित की जाए

मैनुअल संख्या-17

ऐसी अन्य सूचना जो, विहित की जाए

सूचना का अधिकार विधेयक, 2005 के परिपेक्ष्य में पुलिस कार्यकुशलता और गुणवत्ता में श्रेष्ठता लाने के सम्बन्ध में जनपद के समस्त पुलिस अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं, यह विधेयक आम जनता की बुनियादी अधिकारों से जुड़ा है। अतः समस्त अधिकारियों को शासन/ पुलिस मुख्यालय स्तर से प्राप्त योजनाओं और कार्यों की पूरी जानकारी स्वेच्छापूर्वक सूचनाये जनता को मुहैया कराने के निर्देश दिये गये हैं तथा धारा-4(1), 4(2) 4(3) एवं 4(4) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर सूचना पुलिस कार्यालय के सूचना प्रकोष्ठ/सुविधा कक्ष में उपलब्ध है। सूचनाओं की उपलब्धता के लिए बेवसाइट तथा अन्य प्रकार के अभिलेखों को अघावधिक रखा गया है।

मैनुवल / हस्त पुस्तिका में प्रयुक्त जटिलतम
/ संक्षिप्त षब्दावलियां।

समाहित सामिल किया	—	सम्मिलित अथवा हुआ।
पारदर्षिता / प्रकट रखना।	—	सभी तथ्यों को उजागर करना अथवा संज्ञान में रखना।
हस्तलिखित लिखा	—	हाथ द्वारा पेन/ स्याही से हुआ।
इलैक्ट्रानिक युक्ति प्रेस	—	मशीनी माध्यम अर्थात् कम्प्यूटर, टाइपराइटर या आदि।
चिन्हांकित वित्तीय वर्ष की	—	छॉटना या चिन्हित करना। — 01 अप्रैल से 31 मार्च तक
वित्तीय नियम उसके	—	अवधि। धनराषि के आहरण एवं वितरण की व्यवस्था से
सम्बन्धित		नियम।
पर्यवेक्षण प्राविधानित कार्यदायी संस्था करने वाली	—	निगरानी। — प्रस्ताव के अनुरूप प्रस्तावित। — कार्यरूप में कार्य को
जीर्णोद्धार उद्धार।	—	संस्था/ विभाग। जीर्ण-शीर्ण अवस्था का

